डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-21, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

30 अक्टूबर 2024, बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, नि:शुल्क

संदेश समृद्धि के

"प्रिय छत्तीसगढ़वासियों, राज्य स्थापना दिवस और दीपावली के पावन अवसर पर, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। एक आदिवासी परिवार से आकर, आज आपके मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का सौभाग्य पाकर मैं गर्वित हूँ। दीपावली का प्रकाश हमारे प्रदेश को विकास, खुशहाली और समृद्धि की नई राह पर ले जाए, यही मेरी कामना है। आइए, इस स्थापना दिवस पर मिलकर छत्तीसगढ़ को और मजबूत, समृद्ध और एकजुट बनाएं। आपका हर दिन उज्ज्वल और समृद्ध हो..."

श्री विष्णु देव साय,
मुख्यमंत्री,

रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट पर भी

छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्र रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट https://dprcg.gov.in/

पर ऑनलाइन उपलब्ध हो रहा है। इससे पाठकों को नवीनतम नौकरी के अवसरों, करियर सलाह, और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। अब अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर समाचार पत्र को एक्सेस कर सकते हैं।

सुशासन से समृद्ध होता छत्तीसगढ़

1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तीन नए राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए। छत्तीसगढ़ ने पिछले 24 वर्षों में लगातार विकास के कई महत्वपूर्ण चरण देखे हैं, जिसने इसे देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित किया है।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि: छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 11,929 रुपए से बढ़कर 1.47 लाख रुपए सालाना हो गई है, राज्य की जीडीपी वृद्धि दर 12 प्रतिशत के ऊपर है, जो बताता है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है।

राज्य बजट का विस्तार: छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से उसका बजट हर साल बढ़ता गया। शुरुआती बजट मात्र 1300 करोड़ रुपए का था, जो अब 1.23 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है।

खनिज और लोहा उद्योग का विकास: छत्तीसगढ़ खनिजों से संपन्न है, विशेषकर लोहे और कोयले का भंडार यहां प्रचुर मात्रा में है। भिलाई स्टील प्लांट' देश में 15% स्टील का उत्पादन करता है। मुख्यतः रेल पटरियां बनाता है। देश लगभग 90% पटरियां यहीं बनती हैं। इसने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाई है।

ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता: छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ गई कि यह राज्य न केवल अपनी जरूरतें पूरी करता है, बल्कि सरप्लस बिजली पड़ोसी राज्यों को भी सप्लाई करता है।

राजस्व में वृद्धि: राज्य को खनिजों से हर साल 13 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। यह राज्य की आर्थिक सेहत को मजबूत करता है और विभिन्न योजनाओं में निवेश के लिए उपयोग होता है।

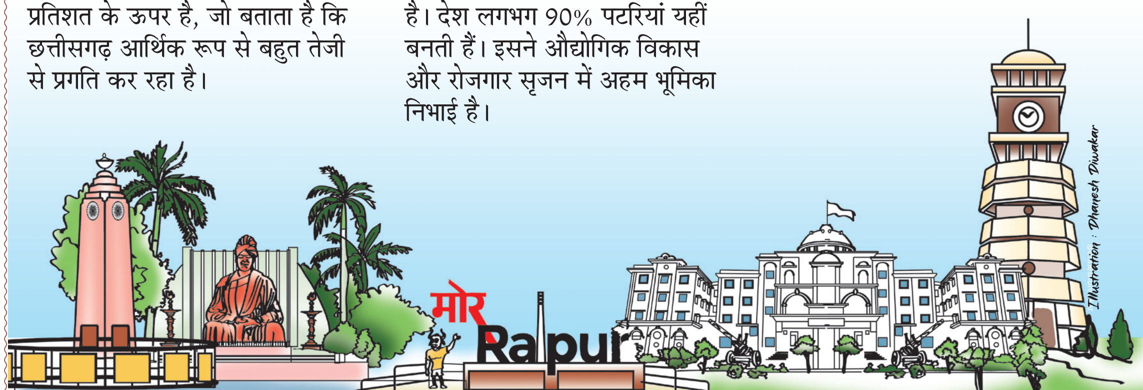

सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक में 75 करोड़ बजट मंजूर, मयाली पर्यटन के लिए 10 करोड़

मुख्यमंत्री ने सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में घोषणा की

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के मयाली में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की, जिसमें प्राधिकरण के सदस्यों और प्रमुख विभागों के सचिवों की उपस्थिति रही। बैठक में उन्होंने प्राधिकरण के तहत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि जो कार्य अभी शुरू नहीं हुए हैं, उन्हें

निरस्त कर दिया जाए और जो कार्य प्रगति पर हैं, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बजट राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने की घोषणा की और मयाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने का भी ऐलान किया।

छत्तीसगढ़ का इतिहास

- 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, इसकी राजधानी नागपुर थी। मध्यप्रांत में छत्तीसगढ़ एक जिला था।
- 1862 में मध्य प्रांत में पाँच संभाग बनाये गये जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना, साथ ही छत्तीसगढ़ में 3 जिलों (रायपुर,बिलासपुर,संबलपुर) का निर्माण भी हुआ।
- सन् 1924 में रायपुर जिला परिषद ने संकल्प पारित करके पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की माँग की।
- सन् 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की माँग रखी।
- सन् 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने पृथक छत्तीसगढ़ माँग के लिए मंच का गठन किया
- सन् 1955 रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की माँग रखी जो की प्रथम विधायी प्रयास था।
- सन् 1956 में डॉ. खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन राजनांदगाँव जिले में किया गया।
- 1 मई 1998 को मध्यप्रदेश विधान सभा में छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए शासकीय संकल्प पारित किया गया।
- 31 जुलाई 2000 विधेयक लोकसभा 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित। 25 अगस्त 2000 तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण ने मप्र राज्य पुनर्गठन अनुमोदित किया।
- 1 नवंबर 2000 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, छत्तीसगढ़ देश का 26वाँ राज्य बना।

सुशासन से जल संरक्षण, पर्यटन, शहरी आजीविका, ऊर्जा, और स्वच्छता में सम्मानित छत्तीसगढ़

हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को जल संरक्षण, पर्यटन, शहरी आजीविका, ऊर्जा, और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह राज्य की समर्पित विकास योजनाओं और प्रशासनिक प्रयासों की सफलता को रेखांकित करता है। इन पुरस्कारों से राज्य की निरंतर प्रगति और जनता की भलाई के लिए किए जा रहे ठोस कार्यों की पहचान और सराहना की गई है। यह न केवल राज्य की नीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाता है, बल्कि इसके विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण भी पेश करता है।

जल संरक्षण पुरस्कार

कांकेर जिले की ग्राम पंचायत मासुलपानी को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जल संरक्षण के क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार मिला। इस पंचायत में 161 जल शेड संरचनाएं, जिनमें 99 फार्म तालाब शामिल हैं, के निर्माण से स्थानीय सिंचाई के लिए सतही जल का उपयोग बढ़ा है।

विश्व पर्यटन दिवस सम्मान

बस्तर क्षेत्र के चित्रकोट और ढूढमारस गांवों को विशेष सम्मान मिला। चित्रकोट को सामुदायिक पर्यटन मॉडल के लिए और ढूढमारस को एडवेंचर पर्यटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पांच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। इसमें चांपा नगर पालिका को सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकाय की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया, साथ ही राज्य के अन्य चार नगरीय निकायों को भी 'स्पार्क 2023-24' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 मिला है। यह पुरस्कार ग्रामीण किसानों और हितग्राहियों को जैव ईंधन और जैव ऊर्जा के क्षेत्र में जोड़कर किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ को देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। साथ ही रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन जैसे पांच नगरीय निकायों को भी स्वच्छता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया।

रोजगार सूचना

एचपीपीएससी पुलिस
पदः पुलिस कॉन्स्टेबल
पद संख्याः 1088
अंतिम तिथिः 31 अक्टूबर 2024
www.hppsc.hp.gov.in

पवन हंस लिमिटेड
पदः सहायक, कनिष्ठ अभियंता
पद संख्याः 29
अंतिम तिथिः 02 नवंबर 2024
pawanhans.co.in

आईआईटी गोवा
पदः मेडिकल ऑफिसर व अन्य पद
संख्याः 9
अंतिम तिथिः 4 नवंबर 2024
https://iitgoa.ac.in/

राइट्स लिमिटेड
पदः तकनीशियन-II पद
पद संख्याः 15
अंतिम तिथिः 08 नवंबर 2024
rites.com

जीआरएसई
पदः अपरेंटिस पद
पद संख्याः 236
अंतिम तिथिः17 नवंबर 2024
grse.in

यूपीपीएससी
पदः प्रोफेसर व अन्य
पद संख्याः 109
अंतिम तिथिः 18 नवंबर 2024
https://uppsc.up.nic.in/

एसपीएमसीआईएल
पदः उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक
पद संख्याः 23
अंतिम तिथिः 24 नवंबर 2024
spmcil.com

रोजगार और नियोजन

संपादक : जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम
संपादकीय सलाहकार : अरविन्द मिश्रा
संपादकीय सहयोग : संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइनर : धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर : अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था : मोहन मिश्रा, विक्रांत

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन नि:शुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का राज्यपाल श्री रमेन डेका, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आत्मीय स्वागत किया...

छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम कदम

महतारी का वंदन, किसान की समृद्धि, और आस्था की रोशनी

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की जनता को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू की हैं। जहां महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है, वहीं किसान उन्नति योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। श्री रामलला दर्शन योजना श्रद्धालुओं को एक अनूठा अनुभव प्रदान कर रही है।

महतारी वंदन योजना

महिलाओं का आर्थिक संबल

महतारी वंदन योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। महतारी

वंदन योजना के तहत, राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने एक हजार रुपए की राशि अंतरित की जाती है। इस आर्थिक मदद से महिलाएँ अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को आसानी से पूरा कर पा रही हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना जागृत हो रही है। इस योजना की नौवीं किश्त की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की, जिससे महिलाओं के आर्थिक संबल को और भी मजबूती मिली है।

किसान उन्नति योजना

किसानों की समृद्धि का मार्ग

किसानों की आय में वृद्धि करने और उन्हें समृद्ध बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 12 मार्च 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया, इस योजना के अंतर्गत, किसानों को प्रति क्विंटल धान की कीमत 3100 रुपए दी

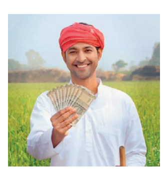

जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य बन गया है, जहाँ धान की सबसे अधिक कीमत मिल रही है। इस योजना के माध्यम से 24.72 लाख किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। इसके अलावा, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और पिछले दो वर्षों का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि प्राप्त हुई है।

श्री रामलला दर्शन योजना

श्रद्धालुओं का धार्मिक सौभाग्य

श्री रामलला दर्शन योजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 5 मार्च 2024 से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत राज्य के श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम में भगवान श्री रामलला के दर्शन के

लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना के तहत, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, और सरगुजा संभाग से श्रद्धालु निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग को इस योजना का नोडल विभाग बनाया है और इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म के माध्यम से यात्रियों के रहने और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इस विशेष ट्रेन में एक बार में 850 श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा का अवसर मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का इतिहास

छत्तीसगढ़ क्षेत्र का इतिहास लगभग चौथी शताब्दी ई. से शुरू होता है, जब इसे दक्षिणी (या दक्षिण) कोसल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ नाम, जिसका अर्थ है छत्तीस किले, पहले रतनपुर के हैहय वंश के क्षेत्र पर लागू होता था, जिसकी स्थापना 750 के आसपास हुई थी। 36 रियासतों के कारण ही प्रदेश का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। दो अलग-अलग राज्यों के अंतर्गत 36 रियासतें विद्यमान थीं।

15 अगस्त 1947 को भारत से अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया। तब छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में तीन जिले (बिलासपुर, रायपुर दुर्ग) और 14 रियासते थी। 1948 में इन 14 रियायतों से तीन नए जिले (रायगढ़, सरगुजा और

बस्तर) जिले का गठन किया गया। (2) बिलासपुर जिला (1861) - बिलासपुर जिले में सक्ति रियासत को शामिल किया गया।

छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जिला रायपुर है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की राजधानी रायपुर है। पहला जिला। साल 1861 में रायपुर और बिलासपुर अस्तित्व में आए।

छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्यप्रदेश के तीन संभाग रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर के 16 जिलों, 96 तहसीलों और 146 विकासखंडों से किया गया। प्रदेश की राजधानी रायपुर को बनाया गया तथा बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 1 नवंबर 2000 समय यहाँ सिर्फ 16 जिले थे, पर 2007 में दो नए जिलो की घोषणा की गयी जो कि बस्तर संभाग का नारायणपुर व बीजापुर था। 2012 में नौ नये जिलों का निर्माण किया। 2019 में पांच नए जिले का घोषणा किया है इस तरह अब छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हो गए हैं।

स्रोत : cgstate.gov.in/ rajbhavancg.gov.in/

स्वरोजगार हेतु पीएमईजीपी योजना के आवेदन आमंत्रित

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, अंबिकापुर के महाप्रबंधक ने जानकारी दी है कि शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे युवा अपनी सेवा एवं उद्योग इकाइयों की स्थापना कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख तक और विनिर्माण इकाइयों के लिए 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक पीएमईजीपी के वेब पोर्टल www.kviconline.gov.in/pmegpeportal पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), ग्राम पंचायत का जनसंख्या प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र हेतु), पासपोर्ट साइज फोटो, और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2024 है।

ओपन स्कूलः 10वीं व 12वीं की परीक्षा अब 14 नवंबर से

ओपन स्कूल की तीसरी परीक्षा अब 14 नवंबर से शुरू होगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 13 नवंबर को होने की वजह से तारीख में बदलाव किया गया है। पहले, बारहवीं की परीक्षा 11 नवंबर से और दसवीं की 13 नवंबर से होने वाली थी। लेकिन अब दोनों परीक्षाएं 14 से होगी। ओपन स्कूल की ओर से परीक्षा के लिए संशोधित समय-सारणी जारी की गई है। दोनों परीक्षाएं 29 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा मार्च-अप्रैल में हुई थी। द्वितीय परीक्षा अगस्त में और अब तीसरी नवंबर में आयोजित की जाएगी। इससे पहले एक बार 2014 में ओपन स्कूल की एक साल में तीन बार परीक्षा हुई थी। इनमें से दो परीक्षा अवसर के रूप में थी, जिसमें सिर्फ फेल हुए छात्र शामिल हुए थे।

छत्तीसगढ़ पुलिस में 341 पदों की भर्ती निकाली

छत्तीसगढ़ पुलिस में 278 उप निरीक्षक (एसआई) समेत 341 पदों पर भर्ती होगी। सीजी पीएससी ने इसके लिए नौकरी निकाली है। आवेदन 23 अक्टूबर से 11 नवंबर तक भरे जाएंगे। इसमें एसआई के अलावा सूबेदार, प्लाटून कमांडर समेत अन्य के पद हैं। इससे पहले 2018 में एसआई की भर्ती निकली थी, तब साढ़े छह सौ से अधिक पद थे। बाद में संशोधन कर पदों की संख्या 975 की गई थी। यह 341 पदों के लिए है, जिसमें 278 पद एसआई के पद हैं। इसके अलावा 19 सूबेदार, 11 उप निरीक्षक (विशेष शाखा), 14 प्लाटून कमांडर, 4 उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह), 1 उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज), 5 उप निरीक्षक (कंप्यूटर) और 9 उप निरीक्षक (साइबर क्राइम) के पद शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 02/2024/परीक्षा/दिनांक 21/10/2024 प्रकाशन की तिथि: 30/10/2024

विज्ञापन

सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर [गृह (पुलिस) विभाग] के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 23/10/2024 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 21/11/2024 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। प्रारंभिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थियों की पात्रता शर्तों की जांच की जाएगी।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 23/10/2024 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 21/11/2024 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 22/11/2024 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 24/11/2024 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
6. यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि की गई हो तथा निःशुल्क त्रुटि सुधार के समय भी उसे सुधारा न गया हो तो ऑनलाईन आवेदन की प्रविष्टियों में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 25/11/2024 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 27/11/2024 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/– (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
7. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त त्रुटि सुधार संबंधी अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(1) छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **गृह (पुलिस) विभाग** के अंतर्गत **सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर** के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:–

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से विभागीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद				योग	वेतनमान
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	सूबेदार	8	2	6	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	वेतन मैट्रिक्स लेवल–8
2	उप निरीक्षक	117	33	89	39	35	9	26	11	11	3	8	3	5	1	4	1	278	
3	उप निरीक्षक (विशेष शाखा)	5	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	
4	प्लाटून कमाण्डर	6	1	4	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	
5	उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह)	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
6	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
7	उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	
8	उप निरीक्षक (सायबर क्राईम)	3	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	
	कुल योग																	341	

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्च्तम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप :–

1. विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

क्रमशः

2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग–पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
4. परीक्षा योजना परिशिष्ट–एक, पाठ्यक्रम परिशिष्ट–दो एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट–तीन में उल्लेखित है।
5. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण, अनुपयुक्त या गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) **पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य :–**

(i) पद का नाम :– सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर
(ii) सेवा श्रेणी :– अराजपत्रित (तृतीय कार्यपालिक)
(iii) वेतन मैट्रिक्स :– वेतन मैट्रिक्स लेवल–08
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
(iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं:–
1. सूबेदार/उप निरीक्षक/उप निरीक्षक (विशेष शाखा) एवं प्लाटून कमाण्डर पद – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि।
2. उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह) एवं उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज) पद– शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष।
3. उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) एवं उप निरीक्षक (सायबर क्राईम) पद– शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए)/बीएससी (कम्प्यूटर) में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष।
(v) शारीरिक अर्हताएं:–
(क) ऊँचाई – 168 से.मी. या उससे अधिक (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये)
153 से.मी. या उससे अधिक (केवल महिलाओं के लिये)
(ख) सीना – बिना फुलाये 81 से.मी., फुलाने पर 86 से.मी.
(अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 से.मी. का अन्तर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। (महिला अभ्यर्थी, इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी।)
(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए।
(घ) अभ्यर्थी में नॉक–नी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नॉक–नी एवं फ्लैट फुट संबंधी पात्रता मापदण्ड समस्त पदों के लिये अनिवार्य होंगी। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/6 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे की 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगो का भेद करने में अभ्यर्थी, सक्षम होना चाहिए।

(3) परिवीक्षा अवधि :– चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोट:–

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य समस्त अर्हताओं का ''प्रमाण–पत्र'' प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) निर्धारित आयु सीमा:–
अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2024 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2–3/2024/दो–गृह/रापुसे दिनांक 30.09.2024 द्वारा निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:–

(i) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
(ii) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–
(क) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।
(ख) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
(ग) ऐसा अभ्यर्थी, जो ''छटनी किया गया शासकीय सेवक'' हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु उसके परिणाम–स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:–शब्द ''छटनी किये गये सरकारी सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवान्मुक्त किया गया हो।
(घ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।
स्पष्टीकरण:– शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गयी हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात:–
(छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13–2/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।)
(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।
(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें:–
(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;
(तीन) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक।
(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी

क्रमशः

होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं)

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(ङ) विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा, 36 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई सेवा के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप–(एक) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें भर्ती नियम 8 के खण्ड (2) के उप–खण्ड (ग) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(दो) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–1/2016/1–3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(iv) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

<u>महत्वपूर्ण टीपः–</u>

(a) छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2–3/2024/दो–गृह/रापुसे दिनांक 30.09.2024 के माध्यम से छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2021 के नियम 8 (2) में सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष (सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी) का शिथिलीकरण करते हुए निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(b) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक) का लाभ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।

(c) **आयु की गणना दिनांक – 01.01.2024** के संदर्भ में की जाएगी।

(5) **<u>अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन–पत्र भरें।</u>** परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

(6) **प्रारंभिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः–**

प्रारंभिक परीक्षा एवं साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थियों के लिए जारी किए गए ऑनलाईन दस्तावेजों (उपस्थिति पत्रक, जानकारी प्रत्रक, व्यक्तिगत विवरण, अनुप्रमाणन फार्म इत्यादि जो भी लागू हो) के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। (अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूचियाँ।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण–पत्र अर्हता प्राप्ति संबंधी विधिवत सूचना पत्र की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां।

<u>अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र/सूचना पत्र प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया गया है।</u> उक्त तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे।

(iv) **जाति प्रमाण पत्र :–**

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/आरक्षण) लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) **छ.ग. के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग** के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय होगा। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु आवेदन करने की तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवकों के पुत्र/पुत्री के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस

क्रमशः

हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता की सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता–पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिन अभ्यर्थियों के माता –पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता–पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षो से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता–पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(d) **यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:–**

(i) शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ii) विज्ञापन की कंडिका – 4(i), 4(ii) (क),(ख),(ग),(घ),(ज),(झ) के अंर्तगत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – 4(ii) (ङ) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र तथा विधवा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – 4(ii) (च) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(v) विज्ञापन की कंडिका – 4(ii) (छ) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – 4(iv) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव" का प्रमाण–पत्र।

(vii) **विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह की तिथि के प्रमाण स्वरूप विवाह प्रमाण पत्र/नोटराइज्ड शपथ पत्र।**

(7) **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–**

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) **आपराधिक अभियोजन :–**

(A) **ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:–**

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या

(vii) **परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो या**

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या

(ix) प्रवेश–पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो **या**

(xi) **छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।**

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी–

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा–

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा और

टीप:– यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि–

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) **अनर्हता:–** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा

क्रमशः

करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) **चयन प्रक्रिया :–** चयन प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी परिशिष्ट एक परीक्षा योजना में अंकित है।

(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट–एक तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट–दो में प्रकाशित है।

(iii) परीक्षा हेतु निम्न परीक्षा केन्द्र होंगे –

(A) **प्रारंभिक परीक्षा के केन्द्र :–**

कोड	**परीक्षा केन्द्र का जिला**
01	सरगुजा (अंबिकापुर)
02	कोरिया (बैकुण्ठपुर)
03	बिलासपुर
04	धमतरी
05	दुर्ग
06	दंतेवाड़ा
07	बस्तर (जगदलपुर)
08	जांजगीर–चांपा
09	जशपुर
10	कवर्धा
11	उत्तर बस्तर कांकेर
12	कोरबा
13	महासमुन्द
14	रायपुर
15	रायगढ़
16	राजनांदगांव
17	बलौदाबाजार–भाटापारा
18	बलरामपुर–रामानुजगंज
19	सूरजपुर
20	गरियाबंद
21	नारायणपुर
22	कोण्डागांव
23	बीजापुर
24	सुकमा
25	बेमेतरा
26	बालोद
27	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही
28	मुंगेली
29	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई
30	मनेन्द्रगढ़–भरतपुर–चिरमिरी
31	मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी
32	सक्ती
33	सारंगढ़–बिलाईगढ़

(B) **शारीरिक माप का मान परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा का जिला :–**

कोड	**परीक्षा केन्द्र का जिला**
01	सरगुजा (अम्बिकापुर)
02	बिलासपुर
03	दुर्ग
04	बस्तर (जगदलपुर)
05	रायपुर
06	राजनांदगांव

(C) **मुख्य परीक्षा का जिला :–**

कोड	**परीक्षा केन्द्र का जिला**
01	सरगुजा (अम्बिकापुर)
02	बिलासपुर
03	दुर्ग
04	बस्तर (जगदलपुर)
05	रायपुर

(iv) ऑनलाईन आवेदनों की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं।

(11) **ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :–**

(i) **छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा।** सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(12) **ऑनलाईन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को कुछ निर्धारित प्रविष्टियों संबंधी त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।**

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/– का शुल्क लिया जाएगा।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर मिलान किया जाएगा।

(v) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी।

(13) **परीक्षा के संबंध में:–**

(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर

क्रमशः

विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी।

(14) **अत्यन्त महत्वपूर्ण** :–

(i) छत्तीसगढ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

(15) **यात्रा व्यय का भुगतान :–**

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा।

यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना है :–

1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो।

2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्त्रोत से कोई आय न हो रही हो।

नोटः– आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों *की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त* होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा।

(ii) अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। गृह जिले को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा।

(16) किसी भी लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

(17) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सतत् अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।

(18) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा।

(19) **विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):–**

इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/–
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर अटल नगर

क्रमशः

परिशिष्ट–एक
''परीक्षा योजना''

चयन प्रक्रियाः– चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(एक) शारीरिक माप का मान – अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण विज्ञापन की कण्डिका 2 (v) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता के अनुसार किया जाएगा।

टिप्पणी – शारीरिक माप के संबंध में किसी विवाद की दशा में, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। **अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच, शारीरिक माप का मान के साथ की जाएगी।**

(दो) प्रारंभिक लिखित परीक्षा – उपरोक्तानुसार योग्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की कम्प्यूटराइज्ड (ओ.एम.आर. आधारित) वैकल्पिक प्रकार की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी जो 300 अंकों की होगी तथा समय दो घंटे का होगा। इस परीक्षा में मुख्य रूप से समान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर एक प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जाएगी जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के केवल 20 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। अन्तिम अभ्यर्थी जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किये हैं, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा भले ही अभ्यर्थियों की संख्या 20 गुना से अधिक हो जाती हो।

(तीन) ओ.एम.आर. आधारित वैकल्पिक मुख्य लिखित परीक्षा (प्रथम चरण की लिखित परीक्षा):–

(क) हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता – यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। हिन्दी के लिए 125 अंक तथा अंग्रेजी के लिए 75 अंक होंगे।

(ख) सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन – यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि तीन घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी।

(ग) एप्टीट्यूड टेस्ट – यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी।

(घ) विज्ञान (गणित, भौतिकी और रसायन) परीक्षा – यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी, जिन अभ्यर्थियों ने उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह)/(प्रश्नाधीन दस्तावेज) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो।

(ङ.) कम्प्यूटर विज्ञान की परीक्षा – यह परीक्षा 200 अंको की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जिन अभ्यर्थियों ने उप निरीक्षक (कम्प्यूटर), उप निरीक्षक (सायबर क्राईम) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो।

(चार) पृथक चयन सूचियां – प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्तांको को जोड़कर पृथक से सूबेदार, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक (विशेष शाखा), प्लाटून कमाण्डर की एक, उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह)/(प्रश्नाधीन दस्तावेज) की एक तथा उप निरीक्षक (कम्प्यूटर), उप निरीक्षक (सायबर काईम) की एक, कुल तीन पृथक–पृथक प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जाएगी जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के पांच गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम अभ्यर्थी जिस पर पांच गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किये है, को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा भले ही अभ्यर्थियों की संख्या पांच गुना से अधिक हो जाती हो।

(पांच) शारीरिक दक्षता परीक्षा (द्वितीय चरण) – शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान आवेदक का शारीरिक नापजोख विज्ञापन की कण्डिका 2 (v) के अनुसार (आखों की दृष्टि एवं आंखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर) किया जाएगा तथा अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र, केवल शारीरिक नापजोख परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। यदि इस विषय में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो जिला चिकित्सा मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यह परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होंगी:–

(क)	लम्बी कूद	60 अंक
(ख)	ऊंची कूद	60 अंक
(ग)	गोला फेंक	60 अंक
(घ)	100 मीटर दौड़	60 अंक
(ड)	1500 मीटर दौड़	60 अंक

उप–निरीक्षक (कम्प्यूटर), उप–निरीक्षक (सायबर काईम) के पद हेतु उपरोक्त प्रतिस्पर्धाएं केवल क्वालीफाईंग स्वरूप का होगा एवं इनके लिए कोई अंक नहीं दिये जायेगे।

केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30 प्रतिशत अंक अर्जित किये हो अर्थात इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुतीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और उनका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा.

(छः) साक्षात्कार (द्वितीय चरण) – साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार के पूर्व ऐसे सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने एक से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, आवेदित पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज की गई अग्रमान्यता तथा आवेदित पद हेतु अर्हता के आधार पर उनके अंतिम चयन की प्रक्रिया की जाएगी।

(सात) बोनस अंक – 10

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीण्यता

(केवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी)

(आठ) समेकित मेरिट सूचीः– अंतिम चयन समेकित मेरिट सूची से किया जाएगा। समेकित मेरिट सूची, प्रथम चरण की लिखित परीक्षा तथा द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्तांकों के योग तथा आयु के घटते क्रम में तैयार की जाएगी।

(नौ) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम – विभागीय भर्ती नियम एवं विज्ञापन में दर्शित प्रक्रियाओं के अतिरिक्त शेष प्रक्रियाओं हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रक्रिया नियम की कण्डिकाएं लागू होंगी।

नोटः– शारीरिक माप का मान परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन गृह (पुलिस) विभाग द्वारा किया जाएगा।

क्रमशः

परिशिष्ट–दो
''पाठ्यक्रम''

सूबेदार/उपनिरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम
(कुल प्रश्न–100, कुल अंक–300, समय–2 घण्टे)

(1) सामान्य अध्ययन

कुल प्रश्न 35, कुल अंक 105

1. भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ।
2. भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल।
3. भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था।
4. भारत की अर्थव्यवस्था।
5. सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
6. भारतीय दर्शन, कला साहित्य एवं संस्कृति।
7. समसामयिक घटनाएं एवं खेल।
8. पर्यावरण।

(2) छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान

कुल प्रश्न 25, कुल अंक 75

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केन्द्र।
3. छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनऊला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियां।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि व पुलिस।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं।
9. नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी।

(3) कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी

कुल प्रश्न 05, कुल अंक 15

कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के समतुल्य जानकारी।

(4) सामान्य मानसिक योग्यता

कुल प्रश्न 10, कुल अंक 30

तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि।
इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते है– विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक गणितीय संक्रियाएं चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि–आदि।

(5) सामान्य गणित

कुल प्रश्न 10, कुल अंक 30

दाशमिक प्रणाली –
मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप।

संख्याएं –
पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य संख्याएं आरोही व अवरोही क्रम स्थानीयमान।

साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न–
भिन्नों की परस्पर तुलना, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना।

वर्गमूल –
वर्गमूल निकालने की विधियां – गुणनखण्ड व भाग विधि दशमलव वाले अंको का वर्गमूल निकालना।

औसत –
औसत निकालने से संबंधित प्रश्न।

प्रतिशत –
प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव व दशमलव को प्रतिशत में बदलने से संबंधित प्रश्न।

चाल, समय, दूरी –
चाल, समय, दूरी निकालने से संबंधित प्रश्न।

- **सामान्य ब्याज –**

साधारण ब्याज क्या है ? इससे संबंधित प्रश्न।

- **लाभ तथा हानि –**

क्रय–विक्रय मूल्य, लाभ–हानि, इन्हें प्रतिशत व रूपयों में व्यक्त करना।

- **अनुपात एवं समानुपात –**

समानुपाती भागों में विभाजन

- **प्रतिशतता –**

जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, ह्रास।

- **रेखा तथा कोण –**

रेखाखण्ड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार।

- **समतलीय आकृतियां –**

त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त ।

- दिशा ज्ञान की सामान्य जानकारी ।

(6) सामान्य हिन्दी

कुल प्रश्न 10, कुल अंक 30

- स्वर, व्यंजन, वर्तनी
- लिंग, वचन, काल
- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग
- समास–रचना एवं प्रकार
- संधि–स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि
- व्याकरणिक अशुद्धियां
- शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज
- पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द
- मुहावरे व लोकोक्तियां

(7) सामान्य अंग्रेजी

कुल प्रश्न 05, कुल अंक 15

Number, Gender, Articles
Pronoun, Adjectives, Verb
Use of some important Conjuctions
Use of some important Prepositions

क्रमशः

मुख्य लिखित परीक्षा

विषयः हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा
(कुल अंक–200, समय–2 घण्टे)

विषयः– हिन्दी **अंक–125**

हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषायें, हिन्दी वर्णमाला एवं व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, तत्सम एवं तद्भव, उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि एवं समास, हिन्दी लोकोक्तियों एवं मुहावरे, छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियों एवं मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांशों के लिये शब्द निर्माण, रस, छन्द, अलंकार, हिन्दी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनायें, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी रचनायें, वाक्य भेद (रचना एवं अर्थ के आधार पर), शब्द युग्म, काव्य बोध –
काव्य की परिभाषा – भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य (महाकाव्य, खण्डकाव्य)
अपठित बोध –
• गद्यांश से संबंधित प्रश्न
• पद्यांश से संबंधित प्रश्न

Subject:- English **अंक–75**

Tenses, Modals, Articles, Voices, Narration, Prepositions, Clauses, Unseen Passage (Related Questions)

विषयः सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन
(कुल अंक–200, समय–3 घण्टे)

उम्मीदवारों को विषयों की सामान्य समझ होनी चाहिये जैसा कि किसी भी विशेष अध्ययन के बिना एक अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित है। पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल हैः

1. सामान्य विज्ञान – भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान अर्थात आविष्कार और खोजें। वैज्ञानिकों और उनके योगदान, मानव शरीर विज्ञान, रोग और उनके कारण, ईलाज और रोकथाम, आहार और पोषण, आनुवंशिकी, पशु, पौधे, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, तत्व और यौगिक, एसिड, बेस और लवण और सम्बद्ध विषय, गति पदार्थ के गुण, प्रकाश, बिजली और अन्य संबंधित विषय।

2. प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास।

3. आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास।

4. स्वतंत्रता के पश्चात् भारत –

भारत का एकीकरण – जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर का विलय। भारत–पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, चिपको आंदोलन, राज्यों का पुनर्गठन। जनगणना, भूदान आंदोलन, भारत की अंतरिक्ष में भूमिका, ISRO, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम, योजना आयोग/नीति आयोग।

5. भूगोल – भारत के क्षेत्र, मानसून और जलवायु, फसलें, भारतीय शहर और स्थान, प्रमुख बंदरगाह, खनिज, उद्योग, बिजली संयंत्र, वन और वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, भारत में जनसंख्या विवरण और अन्य संबंधित विषय।

6. अर्थशास्त्र – भारत में कृषि, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, मूल्य नीति, मुद्रास्फीति, जनसंख्या और गैर–रोजगार, समस्यायें, आयात और निर्यात, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक संगठन भारत एवं विश्व और संबंधित विषय।

7. भारतीय राजनीति – भारतीय संविधान, नागरिकता, चुनाव, संसद और राज्य विधायिकायें, कार्यकारी, न्यायिक प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, केन्द्र–राज्य संबंध, विदेश नीति और अन्य संबंधित विषय।

8. सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स – विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास, भारतीय कला और संस्कृति, खेल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तकें और लेखक, भारत और उसके पड़ोसी देश, वर्तमान भारत और अन्य संबंधित विषय।

9. छत्तीसगढ़ का राजनैतिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन।

10. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, कला एवं संस्कृति, त्यौहार, व्यंजन, शासकीय सांस्कृतिक महोत्सव, लोकनृत्य, लोकगीत एवं खेलकूद।

11. स्वतंत्रता के पश्चात् छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक–समग्र विकास

12. छत्तीसगढ़ का भूगोल– नदी, जंगल, पहाड़ एवं पर्यटन स्थल।

13. छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य।

14. छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं उनका योगदान।

15. सामाजिक उत्तरदायित्व –
• मानव अधिकार
• यातायात के नियम
• राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे
• प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन
• वन्यजीव संरक्षण

विषय : ऐप्टीट्यूड टेस्ट
(कुल अंक–200, समय–2 घण्टे)

1. सादृश्य (Anology)
शब्दार्थ और आलंकारिक सादृश्य, अक्षर और संख्या प्रतीकात्मक/संख्या, छवियां और अर्थ–आधारित

2. कोडिंग/डिकोडिंग
अक्षर स्थानांतरण द्वारा कोडिंग डिकोडिंग, सादृश्य और शब्दों द्वारा कोडिंग

3. वर्गीकरण (Classification)
शब्दार्थ और आलंकारिक वर्गीकरण/प्रतीकात्मक।

4. श्रृंखला (Series)

क्रमशः

सामान्य ज्ञान के आधार पर शब्दार्थ, आलंकारिक, संख्या और मिश्रित श्रृंखला और श्रृंखला

5. ऑर्डर रैंकिंग
दिये गये आंकड़ों से क्रम और रैंकिंग का क्रम पूछा जायेगा।

6. दिशा और दूरी
नेटवर्क, मार्गों और यात्रा की गयी दूरी के आधार पर समस्यायें पूछी जाती हैं।

7. अनुपलब्ध संख्यायें
संख्यायें और वर्णमाला–आधारित आव्यूह और आरेख

8. वर्णमाला या शब्द परीक्षण
अनुक्रम और शब्द निर्माण, मैट्रिक्स, अव्यवस्थित शब्द, प्रत्यय आदि।

9. वेन डायग्राम
वेन डायग्राम, तार्किक (लॉजिक), सिलोगिजम आदि।

10. पहेली
डबल लाइन–अप व्यवस्था, परिपत्र व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था,रैखिक व्यवस्था आदि।

11. डेटा पर्याप्तता
घन और डाइस, अंकगणितीय संचालन आदि

12. गैर–मौखिक तर्क
पेपर फोल्डिंग, क्यूब्स और डाइस, गिनती के आंकडे आदि।

13. मात्रात्मक योग्यता और संख्यात्मक कौशल
संख्या और उनके संबंध, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, औसत (माध्य, मोड, मध्यिका), लाभ और हानि।

14. क्वांटिटेटिव ऐप्टीट्यूड
सरल और यौगिक, समय और काम, मेंसुरेशन, गति, समय और दूरी, समीकरण।

15. तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क
कैलेण्डर, रिश्तों की समस्यायें, लाईन ग्राफ, पाईचार्ट

छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज) एवं उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषयः भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं गणित

(कुल अंक–200)

PHYSICS

1- Measurements and units
2- Dimensions and area
3- Scalar quantities and elements
4- Waves and oscillations
5- Electrostatics and magnetism
6- Motions and friction
7- Current electricity and electromagnetic waves
8- Work, power and energy
9- Optics
10- Atoms and nuclei
11- Fluids and solids, rigid bodies
12- Electronics
13- Thermodynamics
14- Kinetic theory of gases
15- Gravitation
16- Kinematics
17- Thermal properties
18- Dual nature of matters
19- Communications

CHEMISTRY

1- Structure of Atoms and molecules
2- Solutions and elements
3- Equilibrium
4- Hydrocarbons
5- Electrochemistry
6- State of matters-solid gases and liquids
7- Alcohols, phenols ethers, ketones and carboxylic acid
8- Organic compounds
9- Halogens and aldehydes
10- Surface chemistry
11- Carbohydrates-dyes, Polymers and Bio-molecules
12-Transition elements
13- Nucleic acid, Amino acid and proteins
14- Quantum chemistry
15- Catalysis of organometallic compound

MATHS

1- Relations and functions.
2- Trigonometry.
3- Matrices.
4- Determinants
5- Continuity and differentiability.
6- Application of derivatives.
7- Integrals.
8- Differential equation.
9- Vector algebra.
10- Three dimensional geometry.
11- Linear programming.
12- Probability.
13- Sets.
14- Rotation and function.
15- Complex number and quadratic equation.
16- Limits and derivatives.
17- Statics.
18- Straight line.
19- Sequences and series.

क्रमशः

20- Permutation and combination.

छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) एवं उप निरीक्षक (साईबर क्राईम) परीक्षा हेतु

पाठ्यक्रम

विषय : कम्प्यूटर विज्ञान

(कुल अंक–200)

1. History and Development of computers

2. Memory and its types

3. Fundamental knowledge of windows

4. Linux, Unix

5. Concept of file system, MS Office

6. Fundamentals of world wide web, internet, e-mail and social media

7. Basics of encryption

8. Digital Signature and Hash Value

9. Networking (LAN, MAN, WAN) Topology

10. GSM/CDMA/4G/5G Communication

11. Dark Net and Crypto currency

12. Virus. Anti-Virus and Malware

13. Cyber crimes and Cyber security

14. Cyber Forensics

15. Quantum Computing basics

16. Artificial Intelligence (AI)

17. Internet of Things (IOT)

18. Cloud Computing

--00--

क्रमशः

परिशिष्ट–तीन

"ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी"

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:–

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

(1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्ट करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनो कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दिवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करे कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है।

फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:– ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, बैकग्राउंड को नहीं।

(2). फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध CG Police (Subedar, Sub Inspector Cadre, Platoon Commander) 2024 से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्ट किए गए ई–मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाईन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3). अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई–मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।

(4). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से पत्र/SMS देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(5). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।

(6). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही–सही प्रविष्टि की जाए।

(7). **आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा पोर्टल शुल्क जमा करें।**

(8). ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाईन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगें जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(9). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। **सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।**

(10). **आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।**

(11). **ऑनलाईन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :–**

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी

क्रमशः

शुल्क देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः—

(i) **आवेदक ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।**

(ii) **जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।**

(iii) **किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।**

(iv) **कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिग के दौरान फिशिंग/हैंकिग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।**

(v) **ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।**

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः—

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षण/परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षण/परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षण/परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु *मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे—पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित* में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षण/परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

*****

आर.ओ.170/जी-242503371/5

NMDC Limited

(A Government of India Enterprise)

"Khanij Bhavan', 10-3-311/A, Masab Tank, Hyderabad-500028 CIN L13100TG1958G01001674

Employment Notification No 08/2024 **Dated: 21.10.2024**

NMDC Limited, a Navaratna Public Sector Enterprise under the Ministry of Steel, Government of India and a multi locational, multi product and consistently profit making Mining & Mineral Exploration Organization with large turnover. NMDC Ltd is in the process of massive expansion and diversification both in India and abroad. NMDC Ltd is now inviting online applications from eligible & willing candidates for the following posts to be deployed in its various Projects/Units.

S1. No	Post	Discipline	No. of Posts
1	JuniorOfficer (Trainee)	Commercial	4
2		Environment	1
3		Geo & OC	3
4		Mining	56
5		Survey	9
6		Chemical	4
7		Civil	9
8		Electrical	44
9		IE	3
10		Mechanical	20

Note: The No. of Posts indicated above is tentative and may vary depending upon organizational requirement.

2.0 Required Qualifications and Experience:

a. Commercial:
Degree in Engineering or Graduate from Recognized University with MBA or PG Degree/ Diploma in Marketing/ Foreign Trade/ Sales Mgt. Or Graduate with CA/ICMA.

b. Environment:
Management/Engineering/Environmental Degree in Civil/ Chemical/ Mining/ Environment Engineering or PG Degree in Environmental Science/ Geology/ Chemistry/ Botany Or PG Degree/ Diploma in Environment Management (2years duration) Or Doctorate in Environment Studies/ Impact Assessment from a recognized University/Institute.

c. Geo & OC:
M.Sc./M.Sc. (Tech.)/ M.Tech in Geology from a recognized University/ Institute.

d. Mining:
Three years Diploma in Mining Engineering from a recognized University/Institute with Foreman's Certificate of Competency to open cast metalliferous mine Or Degree in Mining Engineering from a recognized University/Institute with 2nd Class Mines Manager Certificate of Competency to open cast metalliferous mine.
Experience: Minimum Five years post qualification experience in the relevant field (in case of Diploma Holders).

e. Survey:
Three years Diploma in Mining or Diploma in Mines & Mine Surveying from a recognized University/ Institute and Mine Surveyor's Certificate of competency under MMR.
Experience: Minimum five years post qualification experience in the relevant field.

f. Chemical:
M.Sc. (Chemistry)/ Degree in Chemical Engineering from a recognized University/ Institute.

g. Civil:
Three years Diploma in Civil Engineering Or Degree in Civil Engineering from a recognized University/Institute.
Experience: Minimum Five years post qualification experience in construction like industrial buildings, conveyor gallery structures, multi-storied RCC Buildings, townships including public utilities like water supply, roads, drainage systems etc. Having working knowledge in drafting software will be an added advantage (In case of Diploma Holders).

h. Electrical Discipline:
Three years Diploma in Electrical Engineering from a recognized University/Institute with Electrical Supervisory Certificate (Mining) of Competency Or Degree in Electrical or Electrical & Electronics Engineering from a recognized University/Institute.
Experience: Minimum Five years post qualification experience in carrying out repairs, overhauling and maintenance of HT/LT Systems/Installation, HT/LT Machinery, equipments and gadgets inside/outside plants, building including overhead and underground transmission lines, cables, transformers, circuit breakers, panels, switch boards and their accessories and allied equipments (in case of Diploma Holders).

i. Industrial Engineering:
Degree in Industrial Engineering Or Degree in Mining/ Mechanical/ Production Engineering with PG Degree/ Diploma in Industrial Engineering from a recognized University/ Institute.

j. Mechanical:
Three years Diploma in Mechanical Engineering Or Degree in Mechanical Engineering from a recognized University/Institute.
Experience: Minimum Five years post qualification experience in maintenance, repairs & operation of Heavy Earth Moving Equipments like Diesel and Electrical Shovel, Dumpers, Dozers, Drills and Plant Machinery (in case of Diploma Holders).

3.0 I) Maximum Age: 32 YEARS
Upper age limit is relaxable upto 5 years for SC/STs and 3 years for OBCs (Non-Creamy Layer) and as per Govt. Guidelines for PwDs/Ex. Servicemen. For Departmental candidates (NMDC) age relaxation will be given up to 15 years.

3.0 II) Stipend: Candidates selected for the Junior Officer (Trainee) posts will be placed initially as a "Trainee". The period of training, monthly stipend during the training period and regular pay scales after successful completion of training are as below:

Sl No	Post name		Training period	Stipend during training period		Pay scale on completion of training
				First 12 Months	Remaining 06 Months	
1	Junior Officer (Trainee) (Commercial/Environment/Geo & QC/Mining/Survey/Chemical/Civil/Electrical/IE/Mechanical)	Degree Holders	12 Months	Rs.37,000/-	-----	Rs. 37000-130000
		Diploma Holders	18 Months		Rs.38,000/-	

4.0 Number of Posts and Reservation

Sl. No	Cadre	No. of Posts	SC	ST	OBC (NCL)	EWS	UR	Identified type of disabilities for PwBD*
1.	Commercial	4	1	-	1	-	2	--------
2.	Environment	1	-	-	-	-	1	
3.	Geo & QC	3	-	1	1	-	1	
4.	Mining	56	9	4	15	6	22	
5.	Survey	9	1	-	3	1	4	
6.	Chemical	4	1	1	1	-	1	OA, OL, HH, LV
7.	Civil	9	1	-	2	1	5	OA, OL, HH
8.	Electrical	44	8	4	12	5	15	
9.	IE	3	-	-	1	-	2	
10.	Mechanical	20	3	1	5	2	9	

क्रमशः

** Abbreviations used: OA- One Arm, OL- One Leg, HH-Hearing Him paired & LV- Low Vision.

** Seven posts are reserved for Persons with Benchmark Disability (PWBD) in Disciplines mentioned above on horizontal basis.

** Where the posts specified in this notification are not reserved for a category, a reserved category candidate can also apply provided he/she fulfill the criteria specified for UR Category. He/she shall be treated at par with unreserved category candidate in the selection process.

5.0 HOW TO APPLY: Applications will be considered in on-line mode. The candidate has to apply through on-line.

Sl.No.	On-line mode
a	Eligible candidates would be required to apply online through NMDC website www.nmdc.co.in (link available on the "Careers" page of the website). The site will be available/activated from 10:00AM on 21.10.2024 to 11:59 PM on 10.11.2024.
b	Helpline Email nmdc@jobapply.in will be available between 10 AM and 6 PM on all working days to assist Technical aspect of online mode.
c	Candidates are required to fill all the details in on-line and upload all the relevant documents/ certificates as per the requirement of notification.
d	For detailed notification along with its Annexures for the above posts the candidates are advised to visit careers page of NMDC website i.e. www.nmdc.co.in. **In case of any clarifications, typographical errors or omissions, Corrigendum etc. to the notification shall be issued in the above NMDC Website only.**
e	Before applying on-line mode candidates are advised to read the instructions of notification carefully which will be available at NMDC website as mentioned at 5.0(d) above.
f	An amount of Rs. 250/- (Rupees two hundred and fifty only) is to be paid by all the candidates as application fee which is non-refundable.
g	Candidates belonging to SC/ST/PwD/Ex-servicemen categories and Departmental Candidates of NMDC Ltd. applying for the post will be exempted from paying Application Fee. Proof for fee exemption is to be enclosed as stated at point no. 9.12 (A). In the absence of above certificate or fee payment details his/her application will be rejected.
h	The payment can be made by using UPI /credit card/on-line net banking through SBI-Collect using Internet Banking integrated with on-line application. Transaction charges if any will be borne by the candidate. On successful completion of transaction, application form with Unique Transaction number and application number will be generated which is to be printed for record. If the candidate does not receive the application form with Unique Transaction number his/her on-line application will not be considered complete and he/she will have to make payment again. Failed transaction will be automatically refunded to the same account from which payment was originally made, within 10 working days.
i	Application fee once paid will not be refunded OR adjusted against any further notifications, also in case of cancellation of the notification for which application fee paid.
j	Candidates are advised to keep the soft copy of the documents i.e. (i) recent passport size photograph (ii) Matriculation /10th certificate (iii) Certificates in support of Qualification & Experience (iv)Caste/Category Certificate, SC/ST/OBC(NCL)/EWS/Disability Certificate etc. as applicable (v) Scanned signature etc.
k	After applying "online", the candidates are not required to send the print out of online application by post.
l	Call letters/admit cards will be send through post/email. Call letters/admit cards can also be generated from Careers page of NMDC website. NMDC will not be responsible for any loss of email sent due to invalid/wrong email id provided by the candidate or postal delay/ non receipt of information by post. Only those candidates will be allowed to appear for Online Test(CBT)/Supervisory Skill Test who will produce valid call letter/admit card.
m	Candidates are required to mention their date of birth and name as per Matriculation/10th class certificate issued by the recognized Board.
n	Candidates are required to keep the printout of the Registration form which will be generated by the system after successful registration.

6.0 Mode of Selection:

6.1 The mode of selection for the above posts will consist of the following:

Stage	Mode of selection	Max Marks
I	Online Test(Computer Based Test)	100
II	Supervisory Skill Test	Qualifying in nature
Total Marks		**100 marks**

6.2 Eligible candidates will be required to appear for Online Test(CBT) consisting of Multiple Choice Questions in any of the centres as decided by the Management.

6.3 Languages for Online Test(CBT) will be in Hindi & English which will consist of objective type multiple questions.

6.4 The candidates will be called for Supervisory Skill Test on the basis of performance in the Online Test(CBT) by following reservation policy. However, the candidate should secure minimum marks in Online Test(CBT), which is as follows:

"SC/ST/PWD-40 marks, OBC (NCL)-45 marks and UR & EWS-50 marks".

6.5 Supervisory Skill Test: There will be Supervisory Skill Test which is qualifying in nature. The qualifying marks in Supervisory Skill Test (out of a total of 100 marks) will be as under:

(1) 40% marks for UR/EWS Candidates

(ii) 37% for OBC (NCL) Candidates and

(iii) 30% marks for SC/ST/PWD

7.0 Ratio of candidates to be called for (Supervisory Skill Test): The candidates will be called for Supervisory Skill Test in the ratio of 1:3 which is on the basis of marks obtained in the Online Test(CBT), discipline wise/ category wise. In case, two or more candidates in the same discipline/category has secured equal marks in the Online Test(CBT) and the ratio of 1:3 is increasing, in such case all those candidates secured equal marks will be called for Supervisory Skill Test irrespective of the above ratio.

7.1 The candidates who have attended for Supervisory Skill Test and failed to secure above qualifying marks stand disqualified for considering their candidature in final merit list.

7.2 Procedure for Supervisory Skill Test: The Supervisory Skill Test will be conducted in the respective discipline which is mandatory. The Supervisory Skill Test is qualifying in nature and its marks will not be included in the Online Test(CBT) marks. Final selection is on the basis of Online Test(CBT) subject to qualifying in Supervisory Skill Test and further subject to clause no. 7.1 above.

7.3 The merit list of the candidates for Supervisory Skill Test and also for final selection will be prepared discipline -wise on the basis of performance in the Online Test(CBT).

7.4 NMDC reserves the right to cancel/withdraw any question/questions from the Online Test(CBT) if required under any circumstances.

8.0 Verification of Documents with originals:-

The candidates who will be called for Supervisory Skill Test are required to produce original documents/testimonials, along with self attested photo copies, in support of Age, Qualification, Experience, Caste, etc. for verification of their eligibility as per notification at the time of Supervisory Skill Test. In case the candidate(s) do not produce / submit the required documents before attending for Supervisory Skill Test, the candidate(s) will not be permitted to attend the Supervisory Skill Test. The decision of NMDC Management is final in this regard.

9.0 GENERAL CONDITIONS:

9.1 The date of birth as well as the name of the applicant will invariably be taken from Matriculation/10th class certificate issued by the recognized Board and no other proof of date of birth and name shall be accepted.

9.2 The cut-off date for reckoning eligibility for educational qualification, age and experience will be the last date for submitting on-line application as mentioned at point no. 5(a) of this notification. In case, the last date of submitting of application is extended, the original cutoff date for reckoning eligibility will remain unchanged.

9.3 The prescribed minimum educational qualifications are mandatory and in absence of the same any higher qualification even if possessed by the candidate does not make any candidate eligible to be called for Online Test(CBT)/Supervisory Skill Test.

9.4 NMDC Management reserves the right to alter/ fix the criteria for calling the candidates for Online Test(CBT)/Supervisory Skill Test on the basis of qualification, experience, if any etc. depending upon the number of applications received. After screening the applications, the candidates will be called for Online Test (CBT).

9.5 During recruitment process, if any information provided by the candidate is found incorrect/incomplete or it is not conformity with eligibility criteria as specified in the notification for the above post or if it is found that candidate has concealed / distorted any material information his/her candidature will be cancelled at any stage during the recruitment process or even after selection.

9.6 Mere fulfilling of the minimum criteria will not vest any right in candidates for being called for different stages of recruitment process. Depending upon response and requirement, the management reserves the right to raise/relax/cancel/modify/alter the entire recruitment/selection process, if

क्रमशः

need so arises, without issuing any further notice or assigning any reason whatsoever. Decision of management to call the candidates for selection shall be final. No interim correspondence will be entertained.

9.7 The candidates selected for the post of Junior Officer (Trainee) will be posted initially at the Projects. However, they will be posted in any of the Mines/Units/offices of NMDC Ltd as per requirements at any stage during service of the candidate in NMDC Ltd and they may be assigned job/ functions/assignments as per the business requirement of the Company.

9.8 In case of any typographical errors or omissions, clarification, corrigendum to the notification shall be issued in NMDC website only. In such cases, the last date of receipt of applications will also be extended. In general, no modification in number of vacancies, notified specifications / criteria would be made after issue of employment notification.

9.9 While applying for above post, the applicant should ensure that he/she fulfills all the eligibility and other criteria mentioned above as on the cutoff date and that the particulars furnished are correct in all respects.

9.10 Outstation SC/ST/PWD/Ex-servicemen candidates called and attended for Online Test(CBT) and all the Outstation candidates called and attended Supervisory Skill Test will be reimbursed Travelling Allowance of second A/C Two Tier Rail / Bus fare on production of Railway/Bus tickets by shortest route as per rules. Proforma of Travelling Allowance is available as Annexure I in the notification of NMDC web site.

9.11 At the time of attending before Online Test(CBT)/Supervisory Skill Test candidates are required to submit duly filled in Travelling Allowance form along with its required travelling tickets in original for its re-imbursement to the candidates as per eligibility. However, the said Travelling Allowance will be paid through e-payment by NMDC in due course.

9.12(A) Candidates belonging to SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)/EWS/ PwD/Ex-servicemen category should enclose a copy of caste /permanent Certificate as applicable in the prescribed proforma specified by Govt. of India. The OBC certificate submitted by the candidate should be issued within 06 months from the date of Supervisory Skill Test and as per the orders contained in Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public grievance and Pensions, New Delhi, Office Memorandum No.36012/22/93-Estt(SCT) dated 08.09.93 and should clearly indicating that the candidate does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) as mentioned in column-3 of the Schedule of the above referred Office Memorandum dated 8.9.93 and also belong to the community listed as OBC by Government of India as per latest directives issued by Government of India.

9.12(B) Candidates seeking reservation under EWS will have to submit, an Income and Asset Certificate issued by the Competent Authority. The prescribed format and the competent authority for the said certificate have been mentioned in DOPT Office Memorandum No.36039/1/2019 dated 31.1.19 (EWS Certificate Format attached as Annexure-IV)).

9.12(C) Category (SC/ST/OBC-NCL/EWS/PWD) once filled in the online application form will not be changed and no benefit of other category will be admissible later on.

9.12(D) Wherein in any recruitment year any vacancy earmarked for EWS category cannot be filled up due to non-availability of a suitable candidate belonging to EWS, such vacancies for that particular recruitment year shall be carried forward to the next recruitment year as backlog and the vacancy will be filled by other than EWS candidate.

9.13 If the SC/ST/OBC/EWS/PWD certificate has been issued in a language other than English/Hindi, the candidates will be required to submit a self-certified translated copy of the same either in English or Hindi.

9.14 Ex-servicemen are required to produce equivalence certificate of his/her qualification acquired by him issued by the competent authority at the time of Supervisory Skill Test. In absence of the above, candidates shall not be allowed to appear in the Supervisory Skill Test.

9.15 The prescribed Travelling Allowance claim form (Annexure-I), caste certificates for SC/ST (Annexure-II), OBC(NCL) Certificate (Annexure-III) & EWS certificate (Annexure-IV) are available in the notification on the Careers page of NMDC website i.e. www.nmdc.co.in only.

9.16 Information regarding Online Test(CBT) will be provided in the Admit Card/Call Letter which will be obtained at Careers Page of NMDC website and candidates will be intimated for the same through their email etc. No other communication will be sent to the candidates for Online Test(CBT)/ Supervisory Skill Test.

9.17 The term departmental candidates means only those candidates who are currently working with NMDC as permanent employees.

9.18 Depending upon the suitability of the candidates the selected candidate will be offered for the post of Junior Officer (Trainee) and they will be paid stipend as mentioned in the notification. After successful completion of training, they will be placed at regular scale of pay.

9.29 Apart from Pay and Allowances, other benefits viz. PRP, HRA, CPF, Gratuity, Medical facilities, Group Insurance etc., as per rules will also be admissible.

9.20 No interim correspondence will be entertained on any account during recruitment process. Canvassing in any form will be treated as disqualification.

9.21 Only such PWD category candidates would be eligible to get the applicable benefit of reservation/concessions whose relevant disability percentage is 40% and above.

9.22 Candidates should retain their printed copy of application form as they can be asked to produce it for future reference.

9.23 In case of disparity in English & Hindi version of advertisement, English version will prevail.

9.24 Wherever CGPA/letter grade in a degree is awarded; equivalent percentage of marks should be indicated in the online application form as per the norms adopted by the University/Institute. The candidate will have to produce a copy of these norms with respect to his/her University/Institute at the time of Interview. Where no norms have been specified, the CGPA/ Grade will be presumed to have been provided on a 10 point scale.

9.25 No request for change of examination center will be entertained.

9.26 Only Indian Nationals are eligible to apply.

9.27 Court of jurisdiction for any dispute will be at Hyderabad.

9.28 The following activities will be displayed in NMDC website from time to time:

(a) Eligible candidates for Online Test(CBT).
(b) Online Test(CBT) marks of candidates.
(c) Candidates eligible for Supervisory Skill Test.
(d) Supervisory Skill test marks of candidates.
(e) List of provisionally selected candidates

AGM (Personnel)

कार्यालय अधिष्ठाता

स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा (छ.ग.)

Website-www.sbdmscn.edu.in, E-mail-gmckorba@gmail.com

पत्रांक : एफ-054/ चिकि, महा./संविदा/स्था/2024/8363 कोरबा, दिनांक 01/10/2024

- संविदा भर्ती विज्ञापनः-

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा में सविदा भर्ती नियम-2012 जो चिकित्सा शिक्षा विमाग हेतु लागू हो, के आधार पर भरने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये सोमवार से शुकवार प्रत्येक कार्य दिवस प्रातः 11.00 बजे से वॉक-इन-इन्टरव्यू विज्ञापन जारी दिनांक से आयोजित किया जा रहा है। संस्थान के विभिन्न विभागों में चिकित्सा शिक्षकों/ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर आरक्षण रोस्टर अंनुसार संविदा नियुक्ति हेतु एन.एम.सी. के मापदण्ड की अर्हता रखाते हों, स्व-प्रमाणित दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय में कार्यालयीन समय में शासकीय अवकाश को छोड़कर स्वयं के व्यय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं। साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु विस्तृत जानकारी संस्थान के वेबसाईट https://sbdmscm.edu.in एवं नोटिस बोर्ड में देखा - जा सकता है।

अधिष्ठाता
"स्व.बिसाहू दास महंत" स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
कोरबा (छ.ग.)

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्

विकास भवन, तृतीय तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् लोकपाल द्वारा पारित 'अवार्ड के विरुद्ध अपील हेतु राज्य स्तर पर गठित "त्रि-सदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण" में अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र एवं सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र के अनुभव के आधार पर 01-01 (कुल-02) सदस्यों की नियुक्ति हेतु राज्य स्तर पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

> कुल रिक्त पदों की संख्याः 02

> पद का प्रकार/अनुभव का क्षेत्र :-

1. लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में "अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र से 01 सदस्य" की नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 30 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
2. लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में "सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र से 01 सदस्य" की नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 30 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

> अर्हताएँ :-

1) आवेदन के समय आवेदक की उम्र 66 वर्ष से कम हो।
2) अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र एवं सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र के सदस्य पद हेतु संबंधित क्षेत्रों में न्यूनतम 30 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव हो।
3) आवेदक अपने अनुभव के क्षेत्र में प्रख्यात एवं सत्यनिष्ठ तथा निरापराध हो।
4) आवेदक किसी राजनैतिक दल अथवा वर्तमान में प्रतिबंधित किसी संगठन / संस्था / समिति का सदस्य न हो तथा आवेदक के ऊपर कोई अपराधिक प्रकरण न चल रहा हो।
5) आवेदक शारीरिक रुप से सक्रिय एवं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण हेतु सक्षम हो।
6) जिस क्षेत्र के सदस्य पद हेतु आवेदन किया जावे, उसी क्षेत्र में आवेदक का अनुभव 30 वर्ष होना चाहिये। एक से अधिक क्षेत्रों के अनुभव को मिलाकर 30 वर्ष का अनुभव मान्य नहीं किया जावेगा।

> अनर्हताएँ-

1) अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र एवं सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र में 30 वर्षों से कम का कार्यानुभव होने पर।
2) किसी भी विधि के अंतर्गत दोषी सिद्ध हुआ हो।
3) किसी अन्य ऐसे व्यवसाय/आजीविका से जुडा/जुडी हो, जिससे आवेदित पद के कार्यों के लिए आवश्यक समय व ध्यान न दे सके।
4) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय/विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली, के परिपत्र क्रमांक-M- 11015/112022-RE-III (380157), दिनांक 20 मार्च, 2023 द्वारा जारी Revised guidelines on Ombudspersons and Appellate authority-reg में उल्लेखित निर्धारित पात्रता एवं अनुभव शर्तों को पूरा नहीं करता/करती हो।
5) लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में सदस्य के रूप में एक बार कार्य कर चुके / चुकी आवेदक पुनः नियुक्ति हेतु अपात्र होंगे।
6) वह ऐसे अपराध का दोषी पाया गया, जो नैतिक अधमता (पतन) से जुडा हो।
7) किसी राजनैतिक दल अथवा प्रतिबंधित संगठन / संस्था / समिति का सदस्य हो।
8) शारीरिक एवं मानसिक रूप से असक्षम हो।

> नियम एवं शर्तें तथा अन्य आवश्यक जानकारी -

1) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल के रुप में जिन्होंने कम से कम 01-वर्ष सेवा दी हो, उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावेगी।
2) राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्र आवेदको को संबंधित क्षेत्र में अनुभव के वर्षों, सामाजिक क्षेत्र से जुडाव एवं लोकपाल पद पर किये गये कार्यों से संबंधित अनुभव के वर्षों के आधार पर अंक प्रदाय किया जावेगा।
3) प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों के पैनल का निर्माण राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जावेगा।
4) छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल द्वारा पारित "अवार्ड" से व्यथित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु "त्रि-सदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण" का गठन किया गया है। प्राधिकरण के सदस्यों का कार्य निःस्वार्थ जनसेवा की प्रकृति का है।
5) आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में ही जानकारी देनी होगी। आवेदन के साथ सलग्न समस्त दस्तावेज, आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित (Self Attested) होना चाहिये।
6) आवेदक को अपना कार्यानुभव, आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से प्रमाणित करना होगा।
7) आवेदन पत्र में दी गई जानकारी से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों को आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8) अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति प्रथम बार 02-वर्ष अथवा 68 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो की समयावधि के लिये की जावेगी। कार्यप्रदर्शन एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि एकबार में 01-वर्ष के लिये, अधिकतम 02-बार तक अथवा 68 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी सदस्य को सेवावृद्धि दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने का अधिकार विभाग/ शासन को होगा। किसी भी अभ्यर्थी को पुनर्नियुक्ति नहीं दी जावेगी।
9) प्राधिकरण के सदस्यों को फीस के रूप में देय पारिश्रमिक भुगतान प्रतिमाह अधिकतम सीमा रूपये 50000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) के अध्यधीन प्रति बैठक (Per Sitting) रूपये 2500.00 (दो हजार पाँच सौ रूपये मात्र) की दर से देय होगा। अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
10) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल द्वारा पारित 'अवार्ड' से व्यथित पक्ष को अपील का अवसर प्रदान करना।
11) प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील का निपटारा 02 माह के भीतर करना।

> अंतिम तिथि :-

1) आवेदन दिनांक- 14/11/24 की संध्या 5:00 बजे तक सिर्फ स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
2) निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
3) आवेदन पत्र में तथा आवेदन प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें कि "त्रि-सदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण अकादमिक (Academics/ Teaching) क्षेत्र अथवा सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र के किस सदस्य हेतु आवेदन" किया जा रहा है।
4) आवेदन अपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेज संलग्न न होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।

> पताः आवेदन पत्र निम्न पते पर प्रेषित किया जावे :-

प्रति, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, विकास आयुक्त कार्यालय, तृतीय तल, कक्ष क्रमांक 19, विकास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

आयुक्त
महात्मा गांधी नरेगा
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

आवेदन पत्र प्रारूप

"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत गठित त्रि-सदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य पद हेतु आवेदन पत्र"

आवेदित पद का नाम :--------------

(सदस्य अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र अथवा सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र, का उल्लेख करें। साथ ही लिफाफे के ऊपर आवेदित क्षेत्र का अनिवार्यतः उल्लेख करें)।

स्व-हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करें।

1) आवेदक का नाम :---------------------------
2) पिता/पति का नाम :--------------------------
3) जन्मतिथि (अ) अंको में ------------------------
   (ब) शब्दों में -------------------------
4) दिनांक 01/10/2024 को आयु:----------वर्ष---- माह-----दिन-----
   (आयु की पुष्टि हेतु हाई/ हायर सेकण्डरी स्कूल के अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें)।
5) लिंग (पुरुष/महिला) :--------------------
6) जाति :-----------------------------
7) वर्ग :-----------------------------
   (सामान्य / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का उल्लेख करें)।
8) वर्तमान पता :----------------------------
   ----
9) स्थायी पता :-
   ----
10) फोन / मोबाईल नम्बरः-------------
11) ई-मेल एड्रेसः----------------------------
12) शैक्षणिक योग्यताः (कृपया समस्त दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)।

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6

13) क्या आप अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र अथवा सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र में न्यूनतम 30 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव रखते हैं ? (हाँ/नहीं) :----------------------------

14) अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र अथवा सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र में आपका कुल अनुभव कितने वर्ष का है ?--------

15) अनुभव का विस्तृत विवरण (निम्नांकित सारणी में वर्षवार क्रमानुसार विवरण देवें)।

क्र	पद नाम	संस्था का नाम	सेवाअवधि वर्ष(------- से------- तक)	अनुभव अवधि (वर्ष/माह/दिन)	अनुभव क्षेत्र में उत्कृष्ठता	संलग्न दस्तावेजों का नाम
1	2	3	4	5	6	7

अकादमिक (Academics/Teaching) क्षेत्र अथवा सिविल सोसायटी संगठन (Civil Society Organization) क्षेत्र में न्यूनतम 30 वर्षों का वर्षवार अनुभव संबंधी विवरण एवं तत्संबंध में प्रमाणिक दस्तावेज, उत्कृष्ठ कार्य संबंधी क्रियाकलाप या कार्य के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशन, कोई रिपोर्ट, छायाचित्र एवं अन्य ऐसा दस्तावेज, जो अनुभव से संबंधित हो, अनिवार्यतः संलग्न करें।)

16) क्या आप पूर्व में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लोकपाल के पद पर कार्य कर चुके है ? (हाँ/नहीं) :----------------------------

यदि हाँ तो लोकपाल के अनुभव से संबंधित जानकारी निम्नांकित सारणी में देंवे :-

क्र	जिले का नाम जहाँ पर लोकपाल के पद पर कार्य किये है।	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के जिले	कुल कितने वर्षों तक कार्य किये	कार्यकाल की अवधि (कब से कब तक)	जारी आदेश/ क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4	5	6

(प्रमाण स्वरूप लोकपाल के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश की छायाप्रति संलग्न करें)।

17) मूल निवास का जिला :---------------------------------करें)।
(निवास प्रमाण पत्र संलग्न

18) अ. क्या किसी राजनैतिक दल या किसी प्रतिबंधित संगठन / संस्था / समिति के सदस्य है? क्या आपके ऊपर कोई अपराधिक प्रकरण चल रहा है। (हाँ/नहीं)--------
(नहीं की स्थिति में इस आशय का 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें)।
ब. अनुभव के क्षेत्र में प्रख्यात एवं सत्यनिष्ठा तथा निरापराध होने सबंधी शपथ-पत्र में उल्लेख करें।

19) क्या आप मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करने हेतु सक्षम हैं ? (हां/नहीं):--------------------------
(हाँ की स्थिति में किसी भी शासकीय चिकित्सक से स्वस्थता का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।

20) अन्य जानकारी, जो आपको सामाजिक रुप से ख्यातिलब्ध (Eminent) बनाती हो।
(जानकारी की पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)।---------

13) संलग्न प्रमाणपत्रों एवं दस्तावेजों की सूचीः-

घोषणा

आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। यदि किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी मैने विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को पढ़ा है। मुझे यह जानकारी है कि अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य का कार्य निःस्वार्थ जनसेवा की प्रकृति का है। इस पद पर मुझे महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित अधिनियम एवं भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्य करना है।

स्थान :-
दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर
(पूरा नाम सहित)

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसायटी,

राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष)

इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक-1, अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़

दूरभाष क्रमांक 0771-14052949 ई-मेल cgnamoffice@gmail.com

क्रमांक/07/02/रा.आ.मि. /2024-25/4368 रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2024

// विज्ञापन सूचना //

राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों / कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत कार्यालय राज्य आयुष सोसायटी, संचालनालय आयुष तथा अधिनस्थ संस्था / जिलों में संविदा के आधार पर (एकमुश्त संविदा वेतन) आयुष चिकित्सक (पोस्ट ग्रेजुएट) 10 पद, आयुष चिकित्सक (पोस्ट ग्रेजुएट स्वस्थवृत) 20 पद, आयुष चिकित्सक (पोस्ट ग्रेजुएट होम्योपैथी) 02 पद, आयुष चिकित्सक (ग्रेजुएट यूनानी) 01 पद, आयुष चिकित्सक (ग्रेजुएट-आयुर्वेद) 120 पद, आयुष चिकित्सक (ग्रेजुएट होम्योपैथी) 23 पद, एवं आयुष चिकित्सक (ग्रेजुएट यूनानी) 08 पद की पूर्ति हेतु कार्यालय राज्य आयुष सोसायटी द्वारा निर्धारित अर्हता अनुरूप, इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त पद हेतु विज्ञप्ति कमांक/07/02/राआमि/2023-24/954 रायपुर, दिनांक 07.03.2024 एवं संशोधित विज्ञप्ति कमांक/07/02/राआमि/2023-24/3265 रायपुर, दिनांक 02.08.2024 द्वारा जारी पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नही है। (पूर्व में जारी पात्र अभ्यर्थियों की सूची का अवलोकन करें)

अभ्यथर्थी, विज्ञापन संबंधित विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तों का विवरण तथा आवेदन-पत्र का प्रारूप विभाग की नवीन वेबसाइट http://ayush.cg.gov.in एवं वेबसाईट www.cghealth.nic.in से प्राप्त (डाउनलोड) कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 05.11.2024 समय, 1 5.00 बजे तक अपने सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय, राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक 1, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ के पते पर भेज सकते हैं। आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

सदस्य सचिव
कार्यकारी समिति राज्य आयुष सोसायटी एवं
संचालक आयुष (छत्तीसगढ)

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

कलेक्ट्रेट परिसर राजनांदगांव जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) पिन-491441

क्रमांक2013/मबावि / 24-25 राजनांदगांव, दिनांक 22/10/2024

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब) महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव के जिला मिशन समन्वयक (अनारक्षित) 01 रिक्त पद, जेण्डर विशेषज्ञ 02 रिक्त पद (अनारक्षित-01 एवं अनु. जनजाति-01), वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ- 02 रिक्त पद (अनारक्षित-01 एवं अनु. जनजाति-01), कार्यालय सहायक (अनारक्षित)- 01 रिक्त पद, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (अनारक्षित) 01 रिक्त पद एवं मल्टीटास्क स्टॉफ (अनारक्षित) 01 रिक्त पद भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 05.10.2023 को जारी कर पात्र आवेदकों से दिनांक 20.10.2023 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

उक्त पदों पर निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदनों को चयन समिति द्वारा स्कुटनी उपरांत पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन किया गया है। इससे संबंधित आवेदक दावा आपत्ति दिनांक 05.11.2024 सायं 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर जिला राजनांदगांव में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से अथवा कार्यालय में उपस्थित होकर अगिलेखों सहित दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। पात्र-अपात्र की सूची एवं संपूर्ण जानकारी जिले की वेब साईट www.rajnandgaon.gov.in में देखी जा सकती है। इसके अलावा कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला राजनांदगांव के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।

(कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
राजनांदगांव

छत्तीसगढ़

विकसित भारत बनाने में किसानों का योगदान महत्वपूर्णः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि "विकसित भारत के निर्माण में हमारे किसानों का योगदान अतुलनीय है। जब किसान उन्नति करेंगे, तभी हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा।" यह बात उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर कही। श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। धान की खरीद पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था और किसानों को 49 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसके साथ ही, सरकार किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने और उनके लिए नए अवसर सृजित करने पर भी ध्यान दे रही है।

मुख्यमंत्री ने 40 स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों को 24 लाख का चेक प्रदान किया

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय बगिया में फरसाबहार विकासखंड के जोरण्डाझरिया की 4 स्व सहायता समूह की महिलाओं को 6--6 लाख के मान से 40 महिलाओं सदस्यों को रोजगार करने के लिए 24 लाख का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। महिलाएं सब्जी की खेती और व्यापार आचार पापड़,रेशम विभाग के कोषा कार्य और अन्य रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु आवेदन 14 नवम्बर तक आमंत्रित

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु आबंटन किया जाना हैं। इस हेतु आदिम जाति सहकारी समिति, बहुउद्देशीय सहकारी समिति, महिला स्वयं सहायता समूह, वन सुरक्षा समिति एवं अन्य समितियों से आवेदन आमंत्रित कर नियमानुसार आबंटन की कार्यवाही किया जाना है। 23 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2024 तक कार्यालयीन समय तक पंजीयन प्रमाण पत्र, पासबुक की छायाप्रति एवं अन्य सम्यक दस्तावेज सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

मुख्यमंत्री का निर्देश- आला पुलिस अफसर भी पेट्रोलिंग जरूर करें

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अफसरों से कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। हर हाल में कानून व्यवस्था बहाल रखें। पुलिस त्वरित कार्रवाई करे। साय ने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में रात्रि में पुलिस गश्त नियमित रूप से होनी चाहिए। पुलिस के आला अफसर भी अनिवार्य रूप से पेट्रोलिंग करें। रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डों के साथ ही संवेदनशील इलाकों में नियमित रूप से पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि स्थानीय स्तर पर होने वाली घटनाओं पर पुलिस की पैनी नजर होनी चाहिए। इन घटनाओं के संभावित परिणाम पर भी विचार किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए तत्परता से प्रभावी कार्रवाई की जाए।

लघु उद्योग भारती के लिए नया रायपुर में मिलेगी जमीनः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अग्रसेन भवन खुर्सीपार में आयोजित क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन-2024 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री साय ने उद्यमी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उद्यमिता के विकास और प्रदेश में नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लघु उद्योग भारती द्वारा सम्मेलन आयोजन की महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के हित में काम करने वाला एक विशाल संगठन है। देश में इस संगठन की करीब 1000 इकाइयां और 65000 सदस्य होना सचमुच गौरव की बात है। सरगुजा और बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में भी संगठन ने अपना विस्तार किया है।

सपंति संबंधी धोखाधड़ी रोकने की दिशा में सुगम ऐप एक बड़ा कदम

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जनता के हित में निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी, कार्यसक्षम और जनहितैषी बनाने के लिए 'सुगम ऐप' का शुभारंभ किया गया है। इस पहल का उद्देश्य संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा को जड़ से समाप्त करना है। इस नई प्रणाली के तहत, संपत्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति को रजिस्ट्री दस्तावेज़ों में स्थायी रूप से दर्ज किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े की संभावना खत्म होगी। 'सुगम ऐप' के माध्यम से नागरिकों को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में राज्य ने अब तक 1200 से अधिक रजिस्ट्रियां पूरी की हैं। यह ऐप न केवल संपत्ति धोखाधड़ी पर रोक लगाने में सहायक होगा, बल्कि सरकार के राजस्व की भी सुरक्षा करेगा, जिससे जनता के लिए न्याय और सशक्तिकरण के नए द्वार खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने बिजली सखियों को वितरित किए बिजली किट

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बगीचा विकास खंड में 21 स्व-सहायता समूह की महिलाओं को 'बिजली सखी' योजना के तहत बिजली किट प्रदान किए। इस पहल से महिलाओं को मीटर रीडिंग का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वे नियमित रूप से मीटर रीडिंग कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाओं की आय बढ़ेगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। हर मीटर रीडिंग के लिए उन्हें 12 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जिससे समूह की महिलाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा। जशपुर में इस योजना के तहत 300 महिलाओं को जोड़ा जाने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय

120 नहीं, 60 दिन पहले करवा सकेंगे ट्रेन में रिजर्वेशन

ट्रेनों में अब आरक्षित टिकट 120 की जगह सिर्फ 60 दिन पहले ही करवा सकेंगे। रेलवे की एडवांस रिजर्वेशन पीरियड की मौजूदा अवधि में यह बदलाव 1 नवंबर से लागू होगा। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार 120 दिन के नियम के तहत 31 अक्टूबर तक की गई बुकिंग बरकरार रहेंगी। विदेशी पर्यटक पहले की ही तरह 365 दिन की सीमा में रिजर्वेशन करवा सकेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अप्रैल 1981 से अब तक 12 बार रिजर्वेशन नियमों में बदलाव हुआ है। ताजा बदलावों के बाद रेलवे ने कहा, 120 दिन की एडवांस रिजर्वेशन अवधि बहुत लंबी है। इस अवधि में करवाए करीब 21 फीसदी टिकट निरस्त करवाए जाते हैं।

वीआर टेक्नोलॉजी से सजे 'होमी लैब' में बच्चे कर रहे हैं चंद्रयान से लेकर एआई टूल्स तक का निर्माण

दिल्ली, गुजरात, मप्र, महाराष्ट्र और बिहार के कुछ शहरों के एक दर्जन स्कूलों में एक खास लैब शुरू की गई है। यहां पर बच्चे इसमें वीआर टूल के जरिए चंद्रयान बनाकर लॉन्च करना, वैक्सीन तैयार करना और खुद के एआई टूल बनाना सीख रहे हैं। यहां सर्न फिजिक्स लैब भी है जो बड़ी और गहन रिसर्च के बारे में समझाएगी। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम के एडवाइजर रहे सृजन पाल सिंह ने 'होमी लैब' के रूप में अगले 30 साल का यह 'फ्यूचर लर्निंग स्पेस मॉडल' तैयार किया है। सिंह कहते हैं कि यह दुनिया की पहली लैब है, जहां बच्चे पढ़ने के साथ वर्चुअल रियलिटी और गेमिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए इनोवेशन करना सीख रहे हैं।

पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने के लिए तैयार पानी से तैयार करेंगे फ्यूल

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर-जनवरी में सोनीपत-जींद के बीच 90 किमी दौड़ेगी। यह पहली प्रदूषण रहित ट्रेन है। इतनी ही दूरी के लिए डीजल ट्रेन 964 किलो कार्बन का उत्सर्जन करती है। जींद रेलवे स्टेशन पर 3000 किलो हाइड्रोजन स्टोर के लिए प्लांट तैयार हो रहा है। ट्रेन को हर घंटे 40 हजार लीटर पानी की जरूरत होगी। जिंद रेलवे स्टेशन पर अंडरग्राउंड स्टोरेज भी बन रहा है। स्टेशन की छतों पर इकट्ठा पानी यहां पहुंचेगा। ट्रेन के संचालन के लिए मशीनें आ चुकी हैं। हाइड्रोजन ट्रेन 8 से 10 डिब्बों की होगी। पहले चरण में दो ट्रेनें चल सकती हैं। इनकी रफ्तार 140 किमी प्रति घंटे होगी। 1 किलो हाइड्रोजन 4.5 लीटर डीजल के बराबर माइलेज देगी।

अब केंद्रीय कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद वीआरएस ले सकेंगे

केंद्रीय कर्मचारी अब 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) का विकल्प चुन सकेंगे। ऐसा करने पर उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के वही लाभ मिलेंगे, जो रेगुलर रिटायरमेंट पर मिलते हैं। पेंशन और पेंशन भोगियों के कल्याण विभाग ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद जो वीआरएस लेना चाहते हैं, उन्हें तीन महीने का लिखित नोटिस देना होगा। यदि सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखना चाहता है या सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद एनपीएस के लाभों के भुगतान को स्थगित करना चाहता है तो वह विकल्प प्रयोग कर सकेगा।

कोचिंग सेंटरों में छात्रों की सुरक्षा के लिए समान मानक जरूरीः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समान मानक अपनाने पर जोर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ जुलाई में दिल्ली स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के कारण सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की मौत से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने आग से सुरक्षा, फीस, छात्र-क्लास एरिया अनुपात, छात्र-शिक्षक अनुपात, सीसीटीवी, चिकित्सा सुविधाएं, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वालों के लिए परामर्श जैसे पहलुओं का विशेष रूप से उल्लेख किया।

नीटः सुधारों पर रिपोर्ट के लिए समयसीमा बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा संबंधी सुधारों पर रिपोर्ट के लिए नियुक्त समिति को दी गई समयसीमा दो हफ्ते बढ़ा दी। कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने से इनकार करते हुए समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया था। समिति नीट के आयोजन में एनटीए के काम की भी समीक्षा करेगी।

प्रधानमंत्री ने पुलिसकर्मियों की बहादुरी और बलिदान को किया सम्मानित

पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पुलिसकर्मियों की बहादुरी और बलिदान को सम्मानित किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके अटूट समर्पण की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वे साहस और दृढ़ संकल्प की मिसाल हैं। श्री मोदी ने मानवीय चुनौतियों के दौरान पुलिसकर्मियों के सक्रिय प्रयासों और सहायता की भी सराहना की।

ऑफ यूनिटी की छांव में बनेगा 562 भारतीय राजवंशों का संग्रहालय

गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (एसओयू) के कैंपस में जल्द म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया यानी 562 भारतीय राजवंश-साम्राज्यों का संग्रहालय बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर (राष्ट्रीय एकता दिवस) को नर्मदा तट पर इसका भूमिपूजन करेंगे। यह संग्रहालय एसओयू परिसर में ही 15 एकड़ भूमि पर दो साल में बनकर तैयार होगा। इसकी प्रारंभिक लागत 260 करोड़ रुपए आंकी गई है।

अंतरराष्ट्रीय

भारत-सिंगापुर रक्षा सहयोग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और सिंगापुर के रक्षा मंत्री के बीच वार्ता

सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉ. एनजी इंग हेन ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। इस अवसर पर, राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सहयोग का गौरवशाली इतिहास रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री की हाल की सिंगापुर यात्रा और दोनों देशों के बीच मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक के दूसरे दौर से संबंध सुदृढ़ हुए हैं। राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी से बढ़े हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रक्षा क्षेत्र में नवीनतम विशेषज्ञता और तकनीकी प्रगति से लाभ उठाने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया।

वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए लुओंग कुओंग

लुओंग कुओंग को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वे वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। वियतनाम की 15वीं नेशनल असेंबली के 8वें मौजूदा सत्र में श्री कुओंग को वर्ष 2026 तक राष्ट्रपति चुना गया है। नेशनल असेंबली में उपस्थित सभी 440 प्रतिनिधियों ने श्री कुओंग के पक्ष में मतदान किया। श्री कुओंग पूर्व राष्ट्रपति, टू लैम का स्थान लेंगे।

इंस्टाग्राम पर अब कार्ड से साझा करें प्रोफाइल

इंस्टाग्राम प्रोफाइल को दूसरों के साथ साझा करना मजेदार बनाने के लिए कार्ड फीचर लाया है। इस एनिमेटेड डिजिटल कार्ड में क्यूआर कोड के अलावा व्यक्तिगत पसंद को दर्शाने वाले म्यूजिक व अन्य कंटेंट जोड़ने के विकल्प हैं। यूजर्स बैकग्राउंड का रंग भी बदल सकते हैं।

मालदीव में भी शुरू होगी भारत की यूपीआई सेवा

यूपीआई सेवा मालदीव में भी शुरू होगी। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने यह ऐलान किया। अगस्त में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यात्रा के दौरान इस पर सहमति बनी थी। यूएई, श्रीलंका, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल व मॉरीशस में भी यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है।

प्राबोवो सुबियांतो ने संभाला इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार

प्राबोवो सुबियांतो ने विश्व के तीसरे सबसे बडे. लोकतंत्र इंडोनेशिया के राष्ट्रापति का पदभार संभाल लिया है। 73 वर्षीय श्री प्राबोवो, विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश के औपचारिक रूप से आठवें राष्ट्रापति बने हैं। 14 फरवरी को हुए चुनाव में विशेष बलों के पूर्व कमान्डर प्राबोवो सुबियांतो ने लगभग साठ प्रतिशत वोट प्राप्त किये थे।

भारत-UAE के समुद्री सहयोग के लिए नौसेना प्रमुख एडमिरल की ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा

भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के0 त्रिपाठी ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण रक्षा और समुद्री सहयोग को लेकर अहम बातचीत की है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री साझेदारी को और मजबूत करना है। एडमिरल त्रिपाठी ने UAE के रक्षा मंत्रालय के अवर सचिव मटर सलेम अली अल धाहेरी से मुलाकात की, जहां उन्होंने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग में सहयोग, और क्षमता निर्माण पर विचार-विमर्श किया। यह यात्रा भारत और UAE के बीच समुद्री साझेदारी को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे दोनों देशों के सामरिक और सुरक्षा संबंधों में नई ऊंचाइयां छूने की संभावना है।

भारत और रूस के बीच संबंध की जड़ें बहुत गहरीः प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भारत के दृढ़ समर्थन को दोहराया है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में स्थिरता और शांति बहाल करने के सभी मानवीय प्रयासों को प्राथमिकता देगा और इस दिशा में हर प्रकार से सहयोग देने के लिए तत्पर है। यह बयान उन्होंने रूस के कज़ान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दिया। इस अवसर पर उन्होंने दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को भी रेखांकित किया। श्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के लिए कज़ान की यात्रा पर प्रसन्नता जताई

पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार के पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के फैसले पर भगवान बुद्ध के विचारों में विश्वास करने वाले लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के एक सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब देते हुए, कहा कि वे श्रीलंका की राजधानी में पाली एक शास्त्रीय भाषा विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं के आभारी हैं। इस पैनल चर्चा का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किया था।

5 साल बाद मिले पीएम मोदी-जिनपिंग, बोले- हमारी दोस्ती से दुनिया को फायदा

रूस का कजान शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ऐतिहासिक मुलाकात का साक्षी बना। ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच पांच साल बाद पहली औपचारिक बैठक हुई। दोनों नेताओं ने इस द्विपक्षीय वार्ता में एक-दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, भारत और चीन के बीच दोस्ती वैश्विक शांति और खुशहाली के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के लिए एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) पर शांति स्थापना प्राथमिकता है। भारत-चीन द्विपक्षीय समझौते से सीमा विवाद का जल्द निपटारा होने की संभावना है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि दोनों नेताओं ने एलएसी पर गतिरोध दूर करने के लिए अब तक किए गए प्रयासों की सराहना भी की। उल्लेखनीय है कि चीन पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अप्रैल 2020 की स्थिति की बहाली पर राजी हो गया है।

खेल / कला

छत्तीसगढ़ की टिकेश्वरी साहू ने एशियन म्यूथाई चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता

छत्तीसगढ़ की म्यूथाई खिलाड़ी टिकेश्वरी साहू ने एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में नाक में चोट लगने के कारण टिकेश्वरी को ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ा। 23 अक्टूबर तक ताइवान में हुए टूर्नामेंट के अंतिम-4 के मुकाबले में पंच, किक, नी, एल्बो के धुंआधार वार में दोनों खिलाड़ी चोटिल होने के बावजूद दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे। टिकेश्वरी साहू के नाक से लगातार खून बहने के कारण रिंग डॉक्टर ने टिकेश्वरी को और आगे खेलने की इजाजत नहीं दी।

दीपिका को वर्ल्ड कप फाइनल में 5वां सिल्वर

तीन साल बाद वापसी करने वाली भारतीय रिकर्व तीरंदाज दीपिका कुमारी ने वर्ल्ड कप फाइनल में सिल्वर मेडल जीत लिया है। छह साल बाद भारत को रिकर्व में मेडल दिलाया है। यह उनके करियर का पांचवां वर्ल्ड कप फाइनल सिल्वर मेडल है। वहीं, कुल छठा मेडल है। इससे पहले 2018 में ब्रॉन्ज अपने नाम किया था। तीसरी सीड दीपिका को फाइनल में चीन की चौथी सीड ली जियामन ने 6-0 से मात दी। यह दीपिका का 9वां वर्ल्ड कप फाइनल था। वहीं, पुरुषों में धीरज बोम्मादेवारा को पहले राउंड में हार मिली। उन्हें पेरिस ओलिंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ली वू सियोक ने 4-2 से हराया। टूर्नामेंट में भारत का सफर सिर्फ एक मेडल के साथ खत्म हुआ।

न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर पहली बार जीता खिताब

महिला टी-20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने कप्ताहन सोफी डिवाइन की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर अपना पहला खिताब जीता। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित बीस ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर एक सौ 26 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान लौरा वोल्वार्ड्र ने सर्वाधिक 33 रन बनाए। अमेलिया केर को प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ और प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया।

रेलवे ने जीता महिला हॉकी खिताब

रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड ने इंडियन आइल को 3-1 से हराकर सीनियर महिला अंतर विभाग राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत ली और पिछले साल मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर खेले गए फाइनल में भारत की कुछ शीर्ष महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। इंडियन आइल के लिए 18वें मिनट में दीपिका ने गोल दागा। रेलवे के लिए भारत की सबसे अनुभवी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने एक मिनट बाद ही गोल दागा। चौथे क्वार्टर में रेलवे की कप्तान नवनीत कौर ने फिर टीम को बढ़त दिलाई। वहीं भारतीय कप्तान सलीमा टेटे ने विजयी गोल दांगा। सलीमा को प्लेयर आफ द मैच चुना गया।

तीन साल के लिए आईसीसी अध्यक्ष बनेंगे जय शाह

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने अपने चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल दो साल के बजाय तीन साल करने की सिफारिश की है। आईसीसी के सदस्य देश अगर इन सिफारिश को मंजूर कर लेते हैं तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह तीन साल के लिए विश्व क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था के चेयरमैन बनेंगे। शाह इस साल एक दिसंबर को आईसीसी के सर्वोच्च पद का कार्यभार संभालेंगे। आईसीसी बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद वह अपने दूसरे कार्यकाल में अगले तीन साल के लिए भी इस पद पर आसीन हो सकते हैं।

भारत के अर्जुन एरिगैसी ने जीता शतरंज मास्टर्स कप

भारत के अर्जुन एरिगैसी ने शतरंज मास्टर्स कप जीत लिया है। लंदन में हुए फाइनल में, अर्जुन ने मैक्सिम वाशियर-लाग्रेव को शिकस्त दी। 16 खिलाड़ियों के इस नॉकआउट टूर्नामेंट को जीतकर अर्जुन अब फिडे सर्किट में शीर्ष पर हैं। अब वे सर्बिया में शुरू हो रहे यूरोपीय शतरंज क्लब कप में चुनौती पेश करेंगे।

महिला फुटबॉल चैम्पियनशिप में भारत ने पाकिस्तान पर 5-2 से जीत दर्ज की

नेपाल की राजधानी काठमांडू में,दक्षिण एशियाई फेडरेशन- सैफ महिला फुटबॉल चैम्पियनशिप में, भारत ने पाकिस्तान पर 5-2 से जीत दर्ज की। यह भारतीय कप्तान लोइटोंगबाम आशालता देवी का 100वां मैच था। मैच में, स्ट्राइकर नगांगोम बाला देवी ने अपना 50वां गोल किया। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वे पहली भारतीय महिला फुटबॉलर हैं।

निकिता ने मिस इंडिया का खिताब जीता

मध्य प्रदेश के उज्जैन की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। दूसरे स्थान पर यूनियन टेरिटरीज की रेखा पांडे व तीसरे पर गुजरात की आयुषी ढोलकिया रहीं। निकिता थियेटर से जुड़ी रही हैं। साथ ही, टीवी एंकरिंग भी कर चुकी हैं।

राष्ट्रमंडल खेल से हटाए गए हॉकी, निशानेबाजी, क्रिकेट, बैडमिंटन और कुश्ती

ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2026 से हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाजी जैसे प्रमुख खेलों को हटा दिया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) ने आयोजन को बजट के अनुकूल बनाए रखने के लिए 10 विषयों की एक संक्षिप्त सूची का अनावरण किया। लागत को सीमित करने और लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करने के लिए टेबल टेनिस, स्क्वैश और ट्रायथलॉन को भी हटा दिया गया है। ग्लासगो में केवल चार स्थान ही पूरे राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेंगे। 2022 बर्मिंघम संस्करण की तुलना में इस बार कुल 9 खेल कम होंगे। 2014 संस्करण के बाद 12 साल बाद ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा।मेगा-इवेंट के 23वां संस्करण का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होगा। सीजीएफ ने एक बयान में कहा, "खेल कार्यक्रम में एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स (ट्रैक एंड फील्ड), तैराकी और पैरा तैराकी, कलात्मक जिमनास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग और पैरा ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, भारोत्तोलन और पैरा पावरलिफ्टिंग, मुक्केबाजी, जूडो, बाउल्स और पैरा बाउल्स, और 3×3 बास्केटबॉल और 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल,शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़ शासन
सत्यमेव जयते
माता शबरी की भक्ति और
भगवान राम के आदर्शों से पावन,
माँ कौशल्या की धरा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है
25-26 अक्टूबर
श्रीमती द्रौपदी मुर्मु
भारत की माननीय राष्ट्रपति
के करकमलों से महतारी वंदन योजना की
9वीं क़िस्त का अंतरण
प्रदेश की 70 लाख महिलाओं
को दीपावली से पहले
खुशियों का नोटिफिकेशन
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

विष्णु के सुशासन में श्रमिक परिवारों का कल्याण

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना

पंजीकृत श्रमिकों को अपना घर बनाने के लिए ₹1,00,000 एकमुश्त अनुदान

मिनीमाता महतारी जतन योजना

पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों के प्रसव हेतु एकमुश्त ₹20000 की सहायता

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना

59 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सदस्यता से निवृत होने पर एकमुश्त ₹20000 की सहायता

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जुड़ने के लिए QR CODE स्कैन करें

विष्णु के सुशासन से सँवर रहा छत्तीसगढ़

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो